## हरियाचा सरकार

#### अभरतिश्वासार विभाव अभिनुचना

## विनांक 29 जनवरी, 1998

र्थ- छ- क. 47/र्थावे -/अनु- 309/98 - - भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अभलोखागार विभाग (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शतों को विनियमित करने वाले निम्नालिखित नियम बताते हैं, अर्थात :--

### माम-। सामान्य

ा (ा) ये नियम हरियाणा अभिरुलेखासार विभाग (ग्रुप ग) सेवानियम, खीसन्त नाम 1998, कहें जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की लिथि से लागू होंगे।

2: इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अमेक्षित न हो,--

(क) "आयोग" से अभिप्रय है, कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा,

(ख) "तीवी भती" से अभिप्राय है, कोई की नियुक्ति जो सेवा है से पदीन्ति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्वानान्तरण से अन्यया की गई हो,

 "निदेशक" से अभिप्रायः है, निदेशक स्पिलेखागार विभाग, हरियाणा,

(घ) "सरकार" से अभ्याय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार,

(इ॰) "संस्था" से अभिप्राय: है,---

(1) हरियाणा राज्य में लामू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था

परिश्वाचार

- इन नियमों के प्राप्त करें, अन्य सम्या, प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता
- d d "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,--
- भारत में विधि द्वारा निगीनत कोई विश्वविद्यालय, अथवा
- (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप दशा में, पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय; अथवा प्रान्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की
- (111) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के किया गया हो। लिए सरकार हारा मान्यप्राप्त विश्वविद्यालय घर्षित
- (B) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा अभिलेखागार विभाग (ग्रुप ग)

## भाग-।। ऐवा में शती

सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट-क में बताए गए पद होंगे :

पदी की वंद्रमा

Peller तथा उनका

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में बुद्धि अथवा स्थापी अथवा अस्थापी रूप से बनाने के सरकार के अन्तानीहत कमी करने अवदा विभिन्न पदनामी और वेतनमानी वाले नये पद अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

जाएगा जब तक कि वह निम्नोलीखत न हो,--(1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया

उम्बीदवारों की क्या में नियुक्त

गिंद्रकता, अधियास और

- 9 भारत का नागिरक, या
- (a) नेपाल की प्रजा, या

बरिज -

- (H) भूटान की प्रजा; या
- (B) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से असने के आशाय से आया हो; या

- qui जसने के आशाय से आया हो : पूर्वी अफ़ीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से और जंजीबार) जाम्बया, मलावी, जायरे और इचोपिया के किसी युगाण्डा तथा तंजनिया से संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगिनिका भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, कीनिया
- Boh व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण प्रवर्ग (ख). (ग), (घ) तथा (ड॰) से सम्बन्धित व्यक्ति, पत्र जरी किया गया हो ।
- आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर ही दिया जा सकता है। लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार दारा आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीका या साभातकार के कोई भी ट्यक्ति, जिसकी दशा में पालता प्रमाण-पत्र आवश्यक
- सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे । परिचित हो और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से उसके स-बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भान्ति अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शीक्षिणक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपारियति के नहें भी व्यक्ति सेवा है किसी पद पर सीधी भरी द्वारा तब तक
- नहीं किया जायेग जो आयोग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के दिन संत्रह वर्ष से कम अथवा पैतीस वर्ष से अधिक का हो । कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त
- 6. सेवा में पदौ पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जायेंगी

Fight प्राधिकारी

ख के खाना 3 में तथा रीघी भर्ती से अन्यया नियुक्ति की दशा में पूर्वोत्त परिशिष्ट के खाना 4 में जील्लीबत योग्यताएं और अनुभव न रखता हो : किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट 7. कोई भी ट्यक्ति सेवा के किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं योग्यनाए

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य मती प्राधिकारी के विवेक पर 50

से विक्लांग प्रचर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरते के पिछड़े बगाँ, अन्य पिछड़े वगाँ, भूतपूर्व सैतिको तथा शारीरिक रूप प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेशी, यदि अनुसूचित जातिया उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए लिए अपेक्षित अनुभव रखने याले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या

अयोग्नताए

8. कोई भी व्यक्ति,--

जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया हो या विवाह की धविया कर ली है ; अथवा

(FR) निसने परि/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य विवाह कर लिया है या विवाह की सबिदा कर ली है; व्यक्त र

सेवा में किसी भी पद पर निसुचित का पात्र नहीं होगा :

से छूट दे सकती है । करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को, इस नियम के लागू होते के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुजेय है और ऐसा यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह

(1) सेवा में मती निम्निखिखत डंग से की जाएगी

मती का - 150

(क) अभिलेखापाल की दशा मै,--

सहायक अभिलेखापाल में से पदोन्नीत द्वारा, या

(11) सीवी मती हारा, या

(TH) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनेष्ठक द्वारा,

〈(国) सहायक अभिलेखायाल की दशा में,--

25 प्रतिशत सहायको, सहायक पुस्तिकाध्यक्षों, कनिष्ठ वेतनसन आशुक्रिपकों, अभिलेख रेस्टीररों, लिन्यन्त्रक

> एवं टंकको, आयुटंकको, शोध एवं संदर्भ सहायक तथा लिपिकों में से पदोन्नित द्वारा, तथा

(H) 75 प्रतिशत सीवी पत्ती हास, या

(111) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में प्रतिनियंत्र द्वारा, पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा

4 माइक्रोफोटोग्राफिट की दशा में,---

सीवी भर्ती हारा, या

किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार में पहले से ही हारा: लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनिधुक्त

(B) सहायक की दशा में,---

(1) कनिष्ठ वेतनमान आयुलिपिक, लिप्यंत्रक एवं इंकक, आशुटंकक तथा लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; या

सीधी भर्ती हारा; या

(111) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थाना-तरण अथवा प्रतिनेषुन्ति द्वाराः

(३०) सहायक पुस्तकाध्यक्ष की दशा में,--

(1) शोध तथा उंदर्भ सहायक में से पदोन्नति द्वारा, या

सीबी भती हाय, या

(111) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनिष्ठीकत हारा;

(ध) अभिलेख रैस्टोरर की दशा में,--

(1) जिल्दबानों में से परोन्नति द्वारा, या

(VYSK. 29, 1920 SAKA)

- (11) सधि भर्ती हारा, या
- (1111) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्सवारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनिधिकत द्वारा;
- (छ) क्षनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,--
- आशुटकक तथा लिपिकों में से पदौननीत द्वारा, या
- (11) सीधी भर्ती हारा, या
- (111) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनिधिकत द्वारा;
- (ज) लियनक एवं टंकक की दशा में,-
- (1) अशुटंकक एवं लिपिकों में से पदीन्त्री हारा; या
- (11) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनिधुवित द्वारा;
- (झ) चालक की दशा मं,—
- (1) शुप घ संवा से गेट कीपर, सेवादार, डिस्टंग बीवरर, केव्यूम बलीनिंग बीपरर, डार्करूम अटेंडेन्ट, डिस्टंग केवरर एवं मैण्डर, चौकीदार, मेहतर तथा मेण्डर में से पदीन्त्रते द्वारा; या
- (11) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (111) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानतन्तरण अथवा भ्रोतिनेयुक्ति द्वारा;

- (ज) आशुटंककों की दश मं, —
- (1) लिपिकां में से पदोन्ताति द्वारा; या
- (11) सीची भर्ती हारा; या
- (111) किसी राज्य सरकार या धारत सरकार की सेवा में पहले. से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनिधुवित या स्थानान्तरण द्वारा;
- (ट) लिपिकों की दशा मं,—
- (1) 20 प्रतिशत ग्रुप ग सेवा में से शोध सन्दर्भ सहायक, अभिलेख परिचर, गैस्टेटनर अप्रेटर तथा जिल्द्सानों तथा ग्रुप घ सेवा में से ग्रेट कीपर, सेवादारों, डस्टिंग बीयरर, वैक्यूम क्लीतिंग बीयरर, डार्करूम अटेंडेन्ट, डस्टिंग बीयरर, एवं गण्डरों, चौकीदार, मेहतर तथा भेण्डर में से पदोन्नित हारा; तथा
- (11) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती हारा, या
- (111) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनेधुक्ति द्वारा;
- (उ) शोध तथा सन्दर्भ सहायक की दशा मं,---
- (1) सीची भर्ती द्वारा; या
- (11) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में कहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ड) अभिलेख परिचर की दशा में,--
- (1) हुए "घ" सेवा में से गेट-कीपर, सेवादारों, बस्टिंग बीयरर, केयून क्लीतिंग बीयरर, डार्करूम अटेंडेन्ट, डिस्टिंग बीयरर एवं मण्डरों, कीकीदार, मेहतर तथा मण्डर में से पदोन्नति हारा; या

- 11) सीधी भर्ती द्वारा;
- (111) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनेयुक्ति द्वारा;
- ं (इ) गैस्टेटनर आप्रेटर की दशा मं,---
- (1) हुप "ध" सेवा में से गेट कीपर सेवादारों, डिस्टंग बीयरर, वैवयुम वलीनिंग बीपरर, डार्करूम अटेंडेन्ट, डिस्टंग बीयरर-एवं मैण्डरों, चौकीदार, मेहतर तथा मैण्डर में से पदोन्नति हारा; या
- (11) सीधी भर्ती हारा; या
- (111) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- ं (ण) जिल्द्सानों की दशा में, ; -
- (1) शूप 'ख' सेवा में से बैट कीपर, सेवादारों, डस्टिंग बीयरर, वैक्यूम क्लीनिंग बीयरर, डार्करूम अटेंडेन्ट, डस्टिंग बीयरर एवं मैण्डर, चीकीदार, मेहतर तथा मैण्डर में से, इन नियमों के परिशष्ट "इ." में विनिर्देश्य निष्विति हारा, या विभागीय बाईडिंग टैस्ट पास करने पर, पदोन्नित हारा, या
- (II) सीवी भर्ती हारा; या
- (111) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।
- (2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जार्चेंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के िलिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

- (3) सेवा में सभी नियुवितयां, जब तक अन्यया उपवन्धित न हो, पदीन्नति द्वारा की जायेगी, यदि काई उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुवित के लिए उपलब्ध नहीं होता है तो, वह पद कीवी मती द्वारा या स्थानान्तरण या प्रतिनियुवित द्वारा भरा जायेगा तथा ऐसी दशा में नियुवित प्राधिकारी ऐसी नीति निर्धारित करेगा जिसमें वह पद भरा जायेगा।
- 10. (1) सेवा में किशी भी पत पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी परिवीका। भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा : परन्तु,--
- (क) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् किसी अनुरूप अथवा उच्चतर पद पर प्रतिनेयुक्ति पर व्यक्ति की वई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि के रूप में किनी जायेगी;
- (छ) स्थानान्तरण द्वारा किसी निर्मुबेन की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर निर्मुबेन से पहले किसी समक्षक अथवा उच्चतर पद पर किस गय कार्य की कोई अवधि निर्मुबेन प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की बोर गिनने दी जा सकती है; और
- (ग) स्थानापन्न नियुन्ति की कोई अन्नीय परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अन्नीय परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अन्नीय के रूप में निनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यन्तित निम्नो ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की निहित अविधि के पूरा होने पर यदि वह किसी स्थापी रिनित पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारो की राय में परिवीक्षा-अविधि के दोरान किसी व्यक्ति का कार्य अववा आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह,--
- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, ओर
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधो भर्ती सं अन्यया निपुक्त किया गया हो, तो,--
- (1) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; अथवा

(11.) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्ते अनुकात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिशेक्षा-अवधि पूरी होने पर नियुक्तित कारी,--

(क) यदि उसकी राथ में, उसका कार्य अथवा आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,--

(1) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो उसकी नियुक्ति की तिक्षे से पुष्ट कर सकता है, अथवा

(11) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिवित पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिवित्त होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; अथवा

(1111) यदि काई स्थापी चिकित न हो, तो बोबित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीधा-अविधि संतोषणनक हम से पूरी कर ली है; अथवा

(ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहाहो तो,---

(1) यदि वह तीधी भती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्य नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पर पर प्रतिवर्तित कर सकता है अथवा उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के नियम्धन और शर्तों के अनुजात करें; या

(11) उसकी परिवीक्षा-अवाधे बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवाधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अविष, जिसमें बढ़ाई गई अविष भी, यदि कोई हैं, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सेवा के सदस्यों की परस्पर अवेष्ठता सेवा में किसी भी पद पर अवेष्ठता।
 उनके लगातार सेवा-काल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु बहा सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्टता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी:

परन्तु यह और कि सीधी मार्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्टता नियस करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को मंग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को निपुबत किए गए दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नीलेखित रूप से निष्टिचत की जाएनी:---

- (क) सीधी भर्ती हारा नियुक्त सदस्य पदोन्नित अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से अयेष्टर होगा;
- (ख) परोन्नित द्वारा नियुक्त किया गया सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदीन्नित द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी जिनसे वे पदोन्नित अथवा स्थानान्तरित किए गए थे, और
- (प) विभिन्न संदर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्योग्डता देतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर बेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले देतन की दर भी समीन हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि ऐसा संवाकाल भी एक समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्यान्त होगा।
- 12: (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुवित प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा केव बरने का राज्य में अथवा उसके ब्राहर किसी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिए वर्तन्व। जाते पर, ऐसा करने के लिए दानी होगा।

- लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,---(2) रोवा के किसी भी सदस्य को निम्मलिखित के अधीन भी सेवा के
- कोई संम्पती, संगम या व्यक्टि-निकाय चाहे वह निगमित सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय, या या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्चण राज्य 可
- (11) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम अथवा व्यक्टि निकाय स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या चाहें वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश
- (HH) कोई अन्य राज्य सरकार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी

किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन अथवा निकाय में बिना खण्ड (11) अथवा खण्ड (111) में निर्देश्ट केन्द्रीय या परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के

रीवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

बपन अन्य गामले। इन नियमों में स्पष्ट रूप से कोई उपजन्थ नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य भेतन, हुद्दी, फेसन अपनाए या बनाए जाए । समय लागु किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हो, अथवा इसके बाद ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत सविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उक्त वेतन, छुट्टी, पंशन तथा सभी अन्य गामलों के सम्बन्ध में, जिनका

अर अपील बनुसासन, शहरतचा

के सदस्य समय-समय पर यथा अंशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे : 14. (1) अनुशासन, शारितयां और अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा

अनुष्ठेच्द 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अववा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिश्रिष्ट न में विनिर्दिष्ट हैं । के लिए उन्नक्त प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी भारत के स्विकान के परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां

> व में विनिर्देश्ट हैं। सक्षम प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट के उस नियम (i) के खण्ड (ग) तथा (घ) के अधीन आदेश करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तया अपील) नियम, 1987, के नियम 9

आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, टीका लगवायेगा और पुनः टीका लगवायेगा । 15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष अथवा साधारण क्षेक्ष लग्बाना

राजनिष्ठा की श्रमथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी। 16. सेवा के प्रत्येक सरस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति राजनिक्ठा की 1 Phili

व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवंग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देना आवश्यक अथवा समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, शक्ति। 17. जहां सरकार की यह राथ में, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में बील के की

यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन और शर्ते लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है । 18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, विशेष उपबन्ध ।

सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अपेक्षित आरक्षणें तथा अन्य रियासतों को प्रभावित नहीं करेगी : व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से 19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस विकलान आरक्षण ।

समय पंचार प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । परन्तु इस प्रकार से किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी

निर्वर्धत किया जाता है : कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा, व्याक्षीत । 20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप निचरन तथा

अदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी। गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपनन्धों के अधीन किया गया परन्तु इस प्रकार से निरासत नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश

TONE OF PERSONS ASSESSED.	STATE OF STA			
		402040 +200 रुपये विशोष वेतन		
		। 1200301560दक्षतारोघ	-	- पश्चिक
		402040		हें के क
		1700	-	े लिप्पन्तक एवं
		1 200 30 1560 दक्षतारोध 40 2040		आश्चलिप्क
				· कनिष्ठ बेतनमान ·
		2 1200301560दक्षतारोद		
		। 140040160050 दक्षतारोध 2300602600	1	अधिको पुस्तिकाध्यक्ष
		दक्षतारोष 2300602600		
		3 140040160050	- 3	4. सहायक
		। 1600~-502300दक्षतारोध	-	उ - माइक्राफाटाग्राफस्ट
जिल्दसाज	15.	602660	AL HARM	
		00		
. गैस्टेटनर आपेट	14.	752900 विशेष वेतन 150		2. सहायक
. अभिलेख परिचर	13.	ć.	3	ं आमलखपाल
सहायक		रुपये		b
े. शोध एवं संदर्भ	12.	4 5 6	ω	2
. लिपिक	=	अस्थायी जोड़ वेतनमान	स्थायी अ	क्रम पदनाम संख्या
). आशुटंकक	10.	पदों की संख्या	पद्ध	
		(दाखए नियम 3)	(6)	
13	- 1	पीक्षिप्ट क	>	
		(VYSK. 29, 1920 SAKA)	(VYSK	
		VT CAZ VAN TO	ARYANA GO	1406 H

6 950--20--1150--दक्षतारोध

25--1500

25--1400

। 950--20--।।50--दक्षतारोघ 25--।500

950--20--।।50--दक्षतारोघ

HARYANA GOVT GAZ., MAY 19, 1998 (VYSK. 29, 1920 SAKA)

1407

cn

6 950--20--1150-- दक्षतारोध

25--1500

। 950--20--।।50--दक्षतारोध

25--1500

। 950--20--।।50--दक्षतारोध

रुपये

25-- 1500-- विशेष वेतन 100 रुपये

1998

HARYANA GOVT GAZ., MAY 19, (VYSK. 29, 1920 SAKA)

परिभिष्ट-ख	(VYSK. 29, 1920 SAKA)

क्रम पदनाम सीवी भर्ती के लिए शैक्षणिक सीवी भर्ती से अन्यवा नियुक्ति के संख्या पोग्यताएं तथा अनुभव, यदि लिए श्रेष्ठणिक योग्यताएं तथा अनुभव, कोई हों यदि कोई हों
पदनाम सीवी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हों

अवधि के ऐस्छिक विषय के में 1600 ई. के पश्चात् की विद्यालय से भारतीय इतिहास में कम से कम तीन वर्ष का सहायक अभलखपाल के रूप पदोन्नित द्वारा :

स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनेपुन्ति

(1) सहायक अभिलेखपाल के रूप में कम से कम तीन वर्ष का

(म) मेंट्रक स्तर तक हिन्दी का अनुभव ।

की पर्याप्त जानकारी के विद्यालय से जिनस्ता लिपि किसी मान्यता प्राप्त विश्व-

में निष्णात उपधि;

साथ इतिहास में द्वितीय श्रेणी

में निष्णात उपाधि तथा के पश्चात् में स्नातक , . भारतीय इतिहास 1600 ई. साय पारती में द्वितीय श्रेणी

(11) अभिलेख अभिरक्षण में उपाधिः पत्र (डिप्लोमा);

(111) किसी अभिलेखागार में सहायक कम तीन वर्ष का अनुभव इसके समक्ष का कम से अभिलेखायाल के पद या

(iv) मेट्रिक स्तर तक हिन्दी का

> सहायक अभिलेखपाल

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-श्रेणी में निष्णात उपधि ; के साथ इतिहास में द्वितीय की अवधि के ऐच्छिक पेपर के 1600 ई. के पश्चात् विधालय से भारतीय इतिहास भाषा (भाषाओं) का ज्ञान ।

इतिहास में निष्णात उपाधि के ऐंध्विक पेपर के साथ अवधि के भारतीय इतिहास 1600 ई. के पश्चात् की भूतपूर्व सैनिकों के लिए अथवा

में स्नातक या इसके समकक्ष । अविध के भारतीय इतिहास । 600 ई. के पश्चात् की में निष्णात उपाधि तथा की पर्याप्त जानकारी के साथ पारंसी में दितीय श्रेणी विद्यालय से शिकरता लिपि

पश्चात् की अवधि के भारतीय विद्यालय से 1600 ई. के पदीन्त्रति द्वारा :

(11), अंग्रेजी तथा हिन्दी में फिन्न

किसी भारतीय अथवा विदेशी

टाईपोग्राफी और प्रुफ शोधन

अधिमान :

एम.ए. अथवा इसके समकक्ष पेपर के साथ इतिहास में भारतीय इतिहास के ऐच्छिक िसी मान्यता प्राप्त विश्व-पश्चात् की अवधि के विद्यालय से 1600 ई. के

(11) अभिलेख अभिरक्षण में उपाधि-' kh आनर्स डिग्री ;

(111) सहायक, सहायक-पुस्तकाध्यक्ष, (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-वर्ष का अनुभव । स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति संदर्भ सहायक, आशुटंकक एवं लिपिक के रूप में पांच अभिलेख रेस्टोरर, श्रोध एवं लिप्यन्त्रक एंव टंकक, कनिष्ठ-वेतनमान आशुलिपिक,

किसी मान्यता प्राप्त विश्व

HARYANA GOVT GAZ., MAY 19, 1998 (VYSK. 29, 1920 SAKA)

1411

पण्चात् के भारतीय इतिहास विदालय से 1600 ई. के किसी मान्यता प्राप्त विश्व-भूतपूर्व रेलिकों के लिए इतिहास के ऐंक्टिक ऐपर के

साथ इतिहास में एम. ए. अथवा इसके समक्त्रा आन्त्र

में स्नातक और जिकस्ता (11) अभिलेख अभिरक्षण में उपाधि

(111) फिसी मान्यता प्राप्त विशव- (111) किसी मान्यता प्राप्त विशव-

(II) महिन स्ता तल हिन्दी भा

(ii) ग्रेंक तार तक किन्द्री ज

के साथ फारडी में निष्णात (111) सहायक, सहायक-पुस्तकाध्यक्ष, लिपे की पर्यान्त जानकारी पत्र ;

कनिष्ठ-बेतनमान आशुलिपेक

(11) अभिलेख अभिरक्षण में उपाधि-लिप्यन्त्रक एवं टंकक,

अभिलेख रैस्टोरर, श्रोष एंव

संदर्भ सहायक, आश्रुटकक एवं लिपिक के रूप में पांच

(111) बेंट्रक स्तर तक हिन्दी का

पत्र (डिप्लोमा)

(1v) मेट्रिक स्तर तक हिन्दी का वर्ष का अनुभव ।

크

विमान्य :

(1) टाईपोग्रफी तथा प्रक शोधन 왕 해가

(11) अंग्रजी तथा हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा अथवा विदेशी भाषा (भाषाओं

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-प्राथमिकता) विद्यालय से स्नातक ; विज्ञान विषय के साथ

गहेंक्रोफोटो-메뉴 다

का ज्ञान

प्राथामकता) व्यवसायिक या इसके समकक्ष (विज्ञान विषय के साथ हायर सकैण्डरी या (10+2) विद्यालय/बोर्ड से मेंट्रक/

सहिंचक

िसी मान्यता प्राप्त विश्व-में रनातक या इसके समकक्ष विदालय सं हितीय श्रेणी व्यवहारिक अनुभव ;

समान्य फोराग्राफी के जन

(IV) समान्य फोटोग्राफी में पांच

वर्ष का व्यवहारिक ज्ञान ;

आयामेकता ) ;

अधिमान दिया जाएगा ; फोटोग्रफी के विषय को ग्राफी में डिज्लोगा (सईको-विद्यालय/संगठन से फोटो-

भारी जाकी के विषय के साम साना में टिप्लीमा (गईको-नियालय/संगठन रा फोटो-

संकार को को का

लिपिकीय पर पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभाव ;

में पांच वर्ष का अनुभव । अधुटंकक य लिपिक के हाप या लिप्सन्त्रक-फन-टेकफ या कनिष्ठ वेतनमान आश्रुलिपेक पदीनाति हारा :

(111) मेंट्रेक स्तर तक हिन्दी का

रकान्तरप या प्रतिनेयुक्ति

(11) भेट्रिक स्तर तक हिन्दी का (i) कनिष्ठ वतनमान आशुलिपिक लप में प्रांच वर्ष का अनुभव, या लिप्सन्त्रक-कम-टकक या आधुदेशक या लिपिकों के

(L) लहेंक्री विज्ञान में डिप्लोमा पदोन्नित द्वारा :

प्रमाण-पत्र ;

सहायक

अस्तकाव्यक्ष

(L) ित्ती मान्यता प्राप्त विशव-

विद्यालय से रनातक ;

V 6. अभिलेख रेस्टोरर (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-आशुलिपिक कन्धि वेतनमान (HE) (11) (111) भेट्रिक स्तर तक हिन्दी का (i) भेट्रक प्रयम श्रेणी/हायर (11) जिल्दसाजी में दो वर्ष का भेट्रिक स्तर तक हिन्दी का संकेण्डरी द्वितीय श्रेषी/ उपाधि-पत्र ; से लाईबेरी विज्ञान में उपाधि, लाईब्रेरी विज्ञान में प्रमाण-इन्टरमीडिएट द्वितीय विसी मान्यता प्राप्त संस्थान त्रपी/10+2 प्रशिक्षण या अनुभव ; शान । (विज्ञान सहित अधिमान्य) अथवा उसके समकक्ष ; विद्यालय/बोर्ड से मेंट्रक (111) (11) (11) (11) अग्राटंकरू या लिपिक के रूप (IIII) मेट्रिक स्तर तक हिन्दी का (1) (11) जिल्द्सान के रूप में दो (11) जिल्दसानी के रूप में दो वर्ष (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व- किसी मान्यता प्राप्त विश्व-मेंट्रेक या इसके समक्ष में तीन वर्ष का अनुभव ; पदोन्त्रीत हारा : का अनुभव ; मेंट्रक स्तर तक हिन्दी क्ष औष एवं संदर्भ सहायक के लाइंडरी विज्ञान में डिप्लोमा रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; प्रमाण-पत्र ; शाय एवं संदर्भ सहायदा के इसके समकक्ष ; विधालय/बोर्ड से मेंट्रक अथवा स्थानान्तरण या प्रतिनेयुरित अथवा इसके समक्ष रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वर्ष का अनुभव । विद्यलाय/बोर्ड से मेंट्रक स्थानान्तरण या प्रतिनेयुक्ति पदोनित हारा :

544

लिपन्न एव

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व- (1) मेट्रिक या इसके समकक्ष

पदीनाति द्वारा :

सेकेण्डरी दितीन क्रेफी/1042

श्रेणी/इन्टर अथवा हायर

विद्यालय/बोर्ड से मेंट्रेक प्रथम

(iv) 80 शब्द प्रति मिनट की (111) 100 शब्द प्रति मिनट सी (ii) मेंट्रेक रतर तक हिन्दी का की गति से उसका प्रतिलेखन। की गति से उसका प्रतिलेखन गति से हिन्दी अशुलिप शान । और 15 शब्द प्रति मिनट और 20 अब्द प्रति मिनट गति ते अंग्रेजी आशुलिप केवल मेंट्रक); नितंक अथवा इसके समक्ष शिल्पार्व सीमा के लिए ्रव्यावसायिक) हितीय श्रेणी/ (111) 100 अन्द प्रति मिनट की (111) 100 शब्द प्रति मिनट की (iv) 80 शब्द प्रति मिनट की (1v) भेट्रिक स्तर तक हिन्दी क्ष (11) आशुटकक या लिपिक के ह्व (1) भेट्रिक या इसके समकक्ष ; में तीन वर्ष का अनुभव } से हिन्दी आशुलिप और 15 गति से उसका प्रतिलेखन ; शब्द अति मित को की 80 शब्द प्रति मिनट की गति और 20 शब्द प्रति मिनट की उसका प्रतिलेखन ; गति से अंग्रेजी आयुजिप में GIV : से उसका प्रतिलेखन । स्थानान्तरण या प्रतिनेयुक्ति 15 शब्द प्रति मिनट की गति गति से हिन्दी आणुलेम और से उसका प्रतिलेखन ; 20 शब्द प्रति मित्र को गति गति से अंग्रेजी आयुलिपि और

Cu

श्रेणी/स्तानक ; व्यवसायक शिक्षा) दितीय

(III) मेट्रिक स्तर तक हिन्दी का (11) से हिन्दी आशुलिप और 15 80 शब्द प्रति मिनट की गति

शब्द प्रति मिन्ट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

(11) (iv) 30 शब्द प्रति मिनट की 80 अन्द प्रति मिनट की की गति से उसका प्रतिलेखन ; और 15 शब्द प्रति मिनट गति से हिन्दी आश्रुलिप 30 शब्द प्रति मिनट की गीर

(IV)

(111) अशुटंकक के रूप में अथवा वर्ष का अनुभव ; लिपिक के रूप में तीन

नहीं होगी । जब वह ऐसा वाषिक वेतन बुद्धि अनुजात शृंद अनुजात होगी किन्तु तिथे से उसे देव बेतन का छर पास करना होगा गति से अंग्रेजी आशुलिप रेस टेस्ट पात करने की सर पास कर लोता है तो ऐसा टेस्ट पात करने तक जिसमें असफल रहने पर उसे की गति से उसका प्रतिलेखन और 20 शब्द प्रति मिन्तर 100 शब्द प्रति मिनट की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपना पद गृहण करने की कति से अंग्रेजी टंकण । से अंग्रेजी टंकण । पद मुहण वृद्धि अनुजात होगी किन्तु है तो ऐसा टेस्ट पास करने िसमें असफल रहने पर की गाँव से उसका प्रतिलेखन उसे बन्धया नहीं दिया की लिये से उसे देव बेतन अनुजात नहीं होगी । जब तक वार्षिक वेतन ब्रीध सं ऐसा दैस्ट पास करने का टेस्ट पास करता होगा और 20 ग्रन्थ प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आयुलिपि भीतर 100 शब्द प्रति मिनट करने की तिथि से एक वर्ष के बह ऐसा देन्ट पास कर लेत

उसे बकामा नहीं दिया जायेगा।

जायेगा ।

वेतन बुद्धियां अनुजात होंगी

करने की तिथि से उसे देव लेत हैं ते कि देख पा वह ऐसा देत्र प्राप्त कर अनुशात नहीं होगी । जब

किन्तु उसे बकाया नहीं दिया

तक वार्षिक वेतन बुद्धि

उसे ऐसा टैस्ट पास करन

असफल रहने की दशा में पस करना होगा जिसमें

(iii) 80 अन्द प्रति मिनट की बीते से हिन्दी आयुर्लिप और 15 उसका प्रतिलेखन शब्द प्रति मिनट को बति से

(1v) 30 왕조 개류 워크군 축 4㎡ से अंग्रेजी टंकण तथा पद अंग्रेजी आशुलिप और 20 प्रति मिनट की गति से सका प्रतिलेखन का टेस्ट शब्द प्रति मिनट की गति से वर्ष के भीतर 100 शब्द ग्रहण करने की तिथि से एक कम तीन वर्ष का अनुभव ; लिपक के लग में कम से

(111) आश्रृटंकक के रूप में या

मेंद्रिक वा इसके समकक्ष ;

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति

1416

					1 -
	9. বার্ত্তক				
	वालक				2
	(1)				
	हिन्दी				
	84				3
	HE FI				
	<ol> <li>हिन्दी के साथ मिडल पास;</li> </ol>				
				(v)	
याताय	(1) भारी यातायात वाहन/हर	पदोन्ति द्वारा :		(v) भेट्रिक स्तर तक हिन्दी	
तिव	याताय	की ब	-	3	4
1	7	2		3	130
यातायात वाहन के लिए	हन/हर			2	

मोटर, ड्राइविंग में वैद्य ल्डी

(ш) भारी पातायात बाहन/ हल्का (ш) गेट कीपर, सेवादार, डस्टिंग यातायात वाहन का वैद्य बीयरर, वैक्यूम कलीनिंग लाईलेंच रखता हो,

वर्ष का अनुभव ; के रूप में कम से कम तीन चीकीदार, मेहतर तथा मैण्डर नीयर, बार्क रूप एटेण्डेंट डस्टिंग बीयरर एंव मैण्डर,

ब्राइविंग लाईसेंस ;

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति

(111) अकुश्रल ड्राईविंग के लिए

भारी यातायात वाहन चलाने का पांच वर्ष, जेरी भी स्थिति का तीन वर्ष का अथवा हलको यातायात बाहुन चलाने E (E) गेट कीपर, सेवादार, डस्टिंग लाईसैंस-रखता हो ; यातायात वहन के लिए मोटर भारी यातायात बहन/हरका ज़ईविंग में वेश ज़ईविंग

(4V)

नहीं होना चाहिए ;

किती दोष से सीध दोष

का दस वर्ष का अनुभव । में भारी यातायात वाहन/ हल्का यातासात बाहन चलाने हो, का अनुभव होना चाहिए (भृतपूर्व सैनिक की दशा क्स रे कम तीन वर्ष का महतर तथा भंडर के रूप में बीयरर एवं मैंडर, चौकीदार, बीयरर, वेक्यूम कलीनिंग डार्करूम अटेन्डेट डरिटेंग

(iii) मिडल स्तर तक हिन्दी का अनुभव ;

> 70. अशिकक मेंट्रक ज़बन श्रेणी अबचा

4

इन्टर/हायर लेकेण्डरी दितीय (1) लिपिक के रूप में एक वर्ष पदोन्नीते हारा :

इसके समकक्ष ; हितीय श्रेषी/स्नातक अथवा श्रेणी/10+2 (व्यवसायिक) का अनुभव ; (11) 80 शब्द प्रति भिनट की गति

(11) मेंद्रक स्तर तक हिन्दी का

(मा) 80 शब्द प्रति मिन्ह की की गति से उसका प्रतिलेखन और 15 अब्द प्रति मितर गति से अंग्रेजी आसुसिप (1111) 64 शब्द प्रति मिनट की गति

से हिन्दी आश्रीलीप और ।।

उसके प्रतिलेखन ,

शब्द प्रति मितर की गति वे से अंग्रेजी आयुक्तिप और 15

शब्द प्रति मिनट की गति ते

(11) 64 शब्द प्रति मिन्ट की की गति से उसका प्रतिलेखन गति से हिन्दी आश्रुलिपे और १३ अन्द प्रति मितट

> हारा : स्थानान्तरण या प्रतिनेयुवित उसके प्रतिखेखन

(1) लिपिक के पद पर कम से कम एक वर्ष का अनुभन ;

(III) 64 शब्द अति मित्रद की स्ति (ii) 80 智慧 yild first 引 相 ते हिन्दी आशुलिप और 11 ते अंग्रेजी अजुलिप और 15 उसका प्रतिलेखन शब्द प्रति बिनट की नति से

(ii) मेट्रिक स्तर तक हिन्दी का अब्द प्रति मितर की बति से उसका प्रतिलेखन ;

#### पदोन्नीते हारा :

(1) मेंट्रेक पस तथा श्रोध एवं शांध सहायक अभिलेख

(H) लिपिक

(i) मेंट्रक प्रथम बेजी/हायर

रेकेण्डरी अथवा इन्टर

मेण्डर, चौकीदार, मेहतर, एटेंडेंट, डरेटेंग श्रीयरर एवं बस्टिंग बोयर, डाकेल्म परेचर, गैरिटनर ऑस्टर, जिल्द्रसाज, गेट कीपर, सेवादार

मैण्ड्र के रूप में पांच वर्ष

मेरिक)

का अनुभव ;

(11) महिन स्तर तक हिन्दी का (11) निदेशक हास ली जाने वाले में मेंट्रक स्तर की परीक्षा पास करनी होगी; हिन्दी तथा अंग्रेमी भाषाओं

테

(111) नियुक्त की तिथि से एक वर्ष के भीतर हिन्दी या अंग्रेजी में दाईप ठैल पात करना में क्रमण: 25 और 30 बेतन ब्रोड नहीं की जाएगी होगा अन्यथा उसे कोहे शब्द अति मिनट की गति (III) न्यिबेत की तिथि से एक वर्ष अन्यया उसे कोई बेतन ब्रोह टेस्ट पात करना होगा में क्रमशः 25 और 30 शब्द के बात हिन्दी या शाक नहीं दी जावेगी। प्रति मिनट की गति से टाईप

स्थानान्तरण या प्रतिनियुनित

मेंद्रम पात तथा शांच पत मण्डर, चीकीदार, नेहतर एवं एटेण्डेंट, औरंग बीबरर एवं कलीनेंग, बीवस्र, डार्कस्त डिस्टेंग बीयरर, बेनयुग-सन्दर्भ सहायक, आभलेख परिचर, गैस्टेटनर आप्रेटर व जेल्दसान, गेट कीपर, सेवादार

> शोध एव सन्दर्भ सहस्रक िक्सी सन्यता प्रान्त विश्व-ियालय से इतिहास एक

12.

(ii) मेट्रक स्तर तक हिन्दी का जान -

पदोन्ति हारा :

विषय ग्रीहत स्नातक ;

अभिलेख परिचर किरो मान्यता आप्त कोई से मेंट्रक पास अथना इसके AHONE ;

13.

(11) भेट्रिक स्तर तक हिन्दी आ (1) मिडल पाल ;

त्तर को हिन्दी और अंजेबी भाग में परीक्षा पास करनी इस जो जाने नाता मेंट्रक पांच वर्ष का अनुसा, स्टिशक मैंडर के रूप में कम से जम

(HI) विश्वीत की विश्व से एक (11) मेंद्रिक स्तर तथा हिन्दी सा HE अंग्रेजी में क्रमज: 28 और वर्ष के बीतर हिन्दी तथा

विधालय से इतिहास एक होगा अन्यथा उसे कोई बेतन क्रींद्र नहीं के अपेगी ।

में तहा देर पस करन

30 अन्द प्रति मिनट की गति

(ii) मेंट्रिक रतर तक हिन्दी का (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विषय सहित स्तातक ;

(11) मेंट कीपर, संवादार, डस्टिंग तीन वर्ष का अनुमय । महतर एवं माइर के स्व में वर्णका एंग्डेंट, अरंग बीपरर, केयुन क्लीनिंग विबरर विवस एवं सम्बर, बीकारा

स्थानात्तरण या प्रतिनियुक्ति

मिडल पस ;

(II) येट कीपर, सेवादार, डॉस्टेंग

अनुभव ; चौकीदार, मेहतर या मैण्डर डस्टिंग बीबरर एवं मेंडर, बीयर, डाईरूम एटेपडेंट के रूप में तीन वर्ष का बीचरर, वैक्युम कलीनिंग

(111) मेंट्रक स्तर तक हिन्दी का

पदोन्नित हारा :

14.

क्रिटेनर

(1) फिसी मान्यता प्राप्त विश्व-विदालय या बोर्ड से मेंद्रक (1) भैपर एवं स्टर, जेंदीदार, गेट कीपर, सेवादार, डॉस्टंग डार्करूम एटेण्डेंट, डरिटेंग गैयरर, वेबयुम कलीनिंग क्षेपरर,

(ш) फेटेटनर मशीन चलाने का

या इसके समक्ष

कार्यकारी ज्ञान ।

स्थानान्तरण या प्रतिनेजुवित तीन वर्ष का अनुभव ; स्वीपर या मेण्डर के रूप में

 मेंट कीपर, सेवादार, दिश्ंग स्तीपर या मैण्डर के रूप में नीपार एवं मेण्डर, जीवीदार, डार्कस्य एटेण्डेंट, डॉस्टेंग भेपरर, केस्पून कलीविन क्यूरर,

तीन वर्ष का अनुभव 🚁

(II) मेंद्रिक स्तर तक हिन्दी का

15. जिल्दसान

(i) मिडल पास

पदोन्ति द्वारा :

 रेट कीप, रेबदार, इस्टिंग तीन वर्ष का अनुभव ; स्वीपर या मण्डर के रूप में बीयरर एवं मण्डर, चौकीदार, बर्करूप एटेगडेंट, बरिटंग बीयरर, वैबयुम कलीनिंग बीयरर,

(ii) जिल्दसाजी में तीन वर्ष र्वीनकों के लिए केवल का अनुभव)। जिल्दसाजी का तीन वर्ष का अनुसव ; (भूतपुर्व

> (ii) परिशष्ट ड में विनिर्देश्ट जिल्दसाजी में विभागीय परीक्षा

स्थानान्तरण या प्रतिनेषुक्त

(1) गेट कीपर, वेबादार, डिस्टंग स्वीपर और रेण्डर के रूप में नीयरर, केनपुत कलीतिंग वीयरर, तीन वर्ष का अनुभव ; डार्कस्म एटेपडेंट, उत्तिम बेक्स एवं भण्डर, चोबीदार,

(111) मिडल स्तर तक हिन्दी का (ii) इन नियम के परिकट ह में विश्वाचि रेट सि स्ट्रान; यथा विनिदेष्ट विरुद्धानी मे

ð.

		13. 新		12. शोध	ा. लिपक	410. HI	9. বালেক	<b>a</b> .	8. Ra	प्राप्त	7. 朝	6. slf4		5. HEI	4. सहायक	3. माइ			2. <del>U</del> EI	ा. अभि	-		संख्या	क्रम पदनाम			
गेस्टेटनर आपरेटर		अभिलेख परिचर	यक	शोध एवं संदर्भ	<b>**</b>	आधुटंकक	₩.	एवं टंकक	लिपान्त्रक	अधिकियक	कनिष्ठ बेतनमान	अभिलेख रेस्टोरर		सहायक पुस्तकाच्यक्ष	यक	माह्क्रीफोटोग्राफिस्ट			सहायक अभिलेखपाल	अभिलेखपाल	8		III				
									निदेशक					(iv)	(1111)	(H)			(i)	(1)	3		प्रधिकारी	नियुन्ति शर्क	[(क्ष		
the textball billiam	म्यानीय पश्चिकरण या	द्वारा स्थापित किसी	मण्डल के अधिनियम	संसद या राज्य विद्यान-	सरकार के पात है या	स्वामित्व या नियन्त्रण	पूर्ण या अधिकाश	या नहीं जिसका	चाहे वह निगमित हो	संगम तथा व्योष्ट निकाय	को या ऐसी कम्पनी,	सरकार या राज्य सरकार	उल्लंधन हारा केन्द्रीय	(iv) अदेशों की उपेक्षा या	(धा) पद्मेन्नित रोकंना ;	(±) परितिन्य ;	रखते हुए चेतावनी ;	(आचरण पंजी) पर प्रति	(1) वैयवितक फाईल	(1) छोटी शास्तियां	4			शास्ति का स्वरूप	[(देखिए नियम ।4 (।]]	परिशिष्ट ग	
																				निदेशक	cn.	प्राधिकारी	新剛	शास्ति चनाने			
																				संस्कार	6		भाषकारी	अपील			

																							103
																							3
रखना या नहीं ;	करने पर प्रभाव	वेतनबुद्धियां स्थागत	अवनीत उसकी भावी	समरित पर, ऐसी	और क्या ऐसी अवधि की	अर्जित करेगा या नहीं	के दौरान वेतनबृद्धियां	अवनीत की अवधि	सरकारी कर्मचारी ऐसी	निदेशों सहित कि क्या	अवनीत ऐसे अतिरिवत	निम्नतर प्रक्रम पर	के लिए समय मान में	(vii) किसी विनिर्देष्ट अविध	इदियां रोकना ;	(vi) संचयी प्रमाव से वेतन	(2) बड़ी श्रास्तियां	वेतन बुद्धियां रोकना ;	(v) संवर्धा प्रभाव के बिना	वेतन से वस्ती ;	पूरीया उसके भाग की	धन सम्बन्धी हानि की	44
					the second second																		Un

(४±1) तिम्नदार वेतनसन्, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी

अवनीते जो सरकारी कर्मचारी के उस समय

1424

cn

60

पद या सेवा पर वेतन के बारे में शती संबंधी के बेतनगत, ग्रेंड, पद या सेवा पर जिससे वह पदोन्नीत के लिए अवन्त किया गया था, साधारणंतः रोक होगी, संबंधी और उसकी कर्मचारी अवनत किया अथवा सेवा से सरकारी ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद गया था उस पर बहाली अतिरिक्त निर्देशों के साथ ज्येष्टता तथा उस ग्रेंड,

(1x) अतिवार्य सेवा निवृति; (x) सेवा से हराया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए

या उसके बिना होगा;

(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकारं के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निर्रहता होगी।

ा4 गेसटेटनर आपरेटर

15

जिएदसाज

一种 阿拉斯 一种 阿拉斯 医大

निर्हता नहीं होगी ;

HARYANA GOVT GAZ., MAY 19, 1998 (VYSK. 29, 1920 SAKA)

1425

13	12	=	10	9	œ	7	6	cn	4	ω	20	-	-	त. भ्रम	
अभिलेख परिचर	शोध एवं संदर्भ सहायक	लिपिक	आशृटंकक	चालक	लिप्यन्त्रक एवं टंकक	कनिष्ठ बेतनगान आधुलिपिक	अभिलेखा रेस्टोरर	सहायक पुस्तिकाच्यक्ष	सहायक	माईक्रोफोटोग्राफिस्ट	सहायक अभिलेखापाल	अभिलेखापाल	2	पदनाम	
	SI	A STATE OF THE STA		新 三年の 三一日		लिए नियत अपु के होने से अन्यथा नियस्ति की सम्मोप्त ।	2. उसकी अधिवर्षिता के	अथवा सेकना,	राशि में कमी करना	अतिरिवत पेंशन की	वाले नियमों के अधीन	<ol> <li>पेशन को नियोंनेत करने</li> </ol>	3	आदेश का स्वरूप	् देखिए नियम ।4 (2)
日本 日本様でも	Cal. Management (1883)	AND DAY IN SHIP COLUMN		The Separate See		THE STATE OF	PART SELECTION AND PROPERTY.					निदेशक	4	आदेश करने के लिए सश्चन प्राधिकारी	-
												सरका	S	अपील प्राधिकार	

## [ बेंक्सिए नियम 9 (0) ]

#### परिशब्द ड

के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम और अन्य शते :--अभिलेखानार विभाग, हरियाणा के ग्रुप च कर्मचारियों का विभागीय जिल्दसाजी टैस्ट

- जब कभी बाईएडर की रिक्ति उत्पन्न होगी, अभिलेखागर विभाग के ग्रुप "घ" निदेशक, अभिलेखागार विभाग द्वारा नियारित किया जाएगा तथा योग्य गुप "च" कर्मचारियों का विभागीय टेस्ट लिया जाएगा । ऐसे टेस्ट की तिथि तथा स्थान व समय कर्मचारियों को कम से कम 15 दिन पहले सूचित किया जायेगा।
- (2) उप-निदेशक अभिलेख द्वारा उन पात्र रूप घ कर्मचारियों के नाम निदेशक, अभिलेखागर विभाग, हरियाणा, को अग्रीक्षत किए जायेंगे जो इस परीक्षा में बैठना
- (3) जिसका गठन निदेशक, अभिलेखागार विभाग द्वारा किया जायेगा । यह टैस्ट अभिलेखागार विभाग के अधिकारियों की एक समिति द्वारा लिया जायेगा
- 4 टेस्ट के पश्चात् उत्तीर्ण हुए ग्रुप व के कर्मचारियों के नामों की एक सूची मुप "च" सेवा में वीरष्ठता के अनुसार तैयार की जायेगी।
- विभागीय टेस्ट के लिए निम्नीलीवित से सम्बन्धित प्रश्नावली होगी :-

(5)

- अभिलेखीय और विणिज्य जिल्दिसाणी में ज्ञान और अन्तर के बीच से सम्बन्धत प्रशन्,
- (ii) फेरस का तैयार करना,
- (III) जिल्दसानी की किस्त्
- (1v) सिलाई की किस्से,
- (v) पुराने अभिलेखों को कैसे पृथ्वीकित किया जाता है और यह क्यों आवश्यक
- (111) कर-इंत पेपर का प्रयोग; (v1) कितने पृष्टों को गिलाने पर एक जून तैयार होता है,
- (प्रधा) रिक्षत पर्टिट्यों का प्रयोग;

(1x) अभिलेखीय जिल्दसानी के लिए प्रयुक्त गत्ते का कान.

(x) जिल्दसानी की परीक्षा कुल 100 अंकों में होगी । इन 100 अंकों परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंबे । व्यवहारिक परीक्षा व मीखिक परीक्षा के क्रमशः 60 व 40 अंक होने

आपुनत एवं सचिव, हरियाणा सरकार, अभिलेखागार विभाग । एस. के. महेश्वरी,

(VYSK. 29, 1920 SAKA)

## HARYANA GOVERNMENT

## ARCHIVES DEPARTMENT

## Notification

# The 29th January, 1998

recruitment and conditions of service of persons hereby makes the following rules regulating the Constitution of India, the Governor of Haryana powers conferred by the proviso to article 309 of the (Group C) Service, namely :-appointed No. G.S.R.47/Const./Art.309/98 .-- In exercise of the to the Haryana Archives Department

## PART-I-GENERAL

Archives Department (Group C) Service Rules, 1998. 1.(1) These rules may be called the Haryana

and Commence-Short title

their publication in the official Gazette. (2) They shall come into force on the date of

requires, --2. In these rules, unless the context otherwise

Definitions.

(a) "Commission" means the Staff Selection Commission, Haryana;-

- (b) "direct recruitment" means an appointment official aiready in the Service of the within the service or by transfer of an made otherwise than by promotion from Government; Government of India or any State
- 0 "Director" means the Director, Archives Department, Haryana;
- (d) "Government" Department; Government in the means the Administrative Haryana
- (e) "institution" means, --
- (I) any institution established by law force in the State of Haryana; or In
- (ii) any other institution recognised these rules; the Government for the purpose of

(f) "recognised university" means, --

- (i) any University incorporated by law in India; or
- (ii) in the case of degree, diploma or Dacca university; or of August, 1947, the Punjab, Sind or examination held before the 15th day certificate obtained as a result of an
- (iii) any other university which of these rules; recognised university for the purpose declared by the Government to be
- (g) "Service" means the Haryana Archives Department (Group C) Service.

# PART-II-RECRUITMENT TO SERVICE

in Appendix A to these rules: 3. The Service shall comprise the posts shown

affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such or temporarily. designations and scales of pay, either permanently posts or to create new posts with different Provided that nothing in these rules shall

in the Service, unless he is,--4.(1) No person shall be appointed to any post

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or
- (d) a Tibetan refuges who came over to India the intention of permanently settling in before the 1st day of January, 1962, with India; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma. Republic of Tanzania (formerly Tanganyka Sri Lanks or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United

of posts. Character Number and

Mationality.

. candidates Service. donicile and character of appointed to

and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b),(c),(d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- (3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.
- 5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 17 years or more than 35 years of age, on or before the day next preceding the last date of submission of application to the Commission.
- Appointment to the posts in the Service shall be made by the Director.
- 7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment:

cations.

Qualifi-

Appointing

Provided that in case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the

discretion of the Commissioner any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes other backward classes, Ex-Servicemen and physically Handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person, ---

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

9.(1) Recruitment to the Service shall be made,--

(a) in the case of Archivist, --

(1) by promotion from amongst Assistant Archivists; or

(ii) by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) in the case of Assistant Archivist, --

(i) 25% by promotion from amongst Assistants, Assistant Librarian, Junior Scale Stenographer, Archival Restorers, Transcriber-cum-typist, Steno-typist, Research and Reference Assistant, Clerks; and

Disqualifications.

Method of recruitment

- (iii) by transfer or deputation State Government or the Government of official already in the service of any
- (c) in the case of Microphotographist, --
- (i) by direct recruitment; or
- by transfer or deputation official already in the service of any State Government or the Government of
- V(d) in the case of Assistant, --
- (i) by promotion from amongst Junior Scale Steno-grapher, Transcriber-cumtypist, Steno-typist and Clerks; or
- (II) by direct recruitment; or
- by transfer or deputation of official already in the service of any State Government or the Government of
- (e) in the case of Assistant Librarian, --
- by promotion and Reference Assistant; or from amongst Research
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of
- (f) in the case of Archival Restorer, --
- (1) by promotion from amongst Binders; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (III) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of

# (VYSK, 29, 1920 SAXA)

- (g) In the case of Junior Scale Stenographer, --
- (1) by promotion from Steno-typist and Clerk; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of official already in the service of any State Government Government of India ;
- (h) in the case of Transcriber-cum-Typist, --(i) by promotion from Steno-typist and Cleks ;or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of official already in the service of Government of India ; any State Government
- (i) in the case of Driver, --
- (i) by promotion from Group D service Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Menders, Chowkidar, Sweeper and amongst Gate Keeper, Peons, Dusting Bearer Vacuum Cleaning Bearer, Dark
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of Government of India : any State Government the
- (j) in the case of Steno-typist, --
- (i) by promotion from amongst Clerks; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of official already in the service of Government of India ; any State Government

HARYANA GOVT GAZ., MAY 19, 1998 , 1435

(VYSK. 29, 1920 SAKA)

- (i) Twenty per cent by promotion from Group C service from amongst Research and Reference Assistant, Record Attendant, Gestetner Operator and Binders and from Group D service from amongst Gate Keeper, Peons, Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Menders, Chowkidar, Sweeper, Mender, whose scale of pay and responsibilities are less than that of Clerk; and
- (ii) eighty per cent by direct recruitment;or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (1) in the case of Research and Reference Assistant, --
- (1) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (m) In the case of Record Attendant, --
- (i) by promotion from amongst Group D services amongst Gate Keeper, Peon, Dusting Bearer, Dark Room Attendant, Dusting Bearer-cum-Menders, Chowkidar, Sweeper and Mender; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (n) in the case of Gestetner Operator, --

(i) by promotion from amongst Group D

service amongst Gate Keeper, Peon,

promotion from namongst Research ssistant, Record

Dusting Bearer, Vacuum Cleaning Bearer, Dark Room Attendant, Busting Bearer-cum-Mender, Chowkidar, Sweeper, and Mender; or

- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (o) in the case of Binder, --
- (i) by promotion from Group D Service amongst Gate Keeper, Peon, Dusting, Bearer, Vacuum Cleaning bearer, Dark Room, Attendant, Dusting Bearer, cum-Mendor, Chowkidar, Sweeper and Mender who qualifies the prescribed departmental test of binding as specified in the appendix 'E' to these rules;
- (ii) by direct recrultment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.
- (3) Unless otherwise provided, all appointments in the Service shall be made by promotion from within the Service. If a suitable person is not available for appointment by promotion, the post shall be filled in by direct recruitment or by transfer or deputation and in such a case the appointing authority shall determine the manner in which the same shall be filled in.
- 10. (1) Persons appointed to any post in the Probation. Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and

## one year, if appointed otherwise : Provided that -

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (6) any period of work in equivalent or of probation fixed under this rule; and descretion of the appointing authority, an appointment by transfer, at the higher rank, prior to appointment to any be allowed to count towards the period post in the Service, may, in the case of
- (c) any period of officiating appointment appointed against a permanent vacancy. entitled to be confirmed, unless he is prescribed period officiated shall, on the completion of the shall be reckoned as period spent on probation, but no of probation, person who has so
- the period of probation is not satisfactory, it may, -authority, the work or conduct of a person during in the opinion of the appointing
- (a) If such person is appointed by direct BILD recruitment, dispense with his Services;
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment--
- (1) revert him to his former post; or
- (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- may, -probation (3) On the completion of the period of a person, the appointing authority of
- (a) if his work or conduct has, opinion, been satisfactory -in
- confirm such person from the date of a permanent vacancy; or his appointment, if appointed against

- (ii) confirm such person from the date occurs, if appointed against a temporary vacancy; or which permanent vacancy
- (iii) declare that he has completed his no permanent vacancy; or probation satisfactorily, if there is
- (b) if his work or conduct has, opinion, been not satisfactory .--177 211
- dispense appointed conditions of his previous appointsuch other manner as the terms and his former post or deal with him in appointed ment permit; or otherwise, revert him by direct recruitment, with his service, to
- (ii) extend his period of probation and could have passed on the expiry of the first period of probation : thereafter pass such order, as it

years. Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three

11. Seniority, interse of members of the Service Seniority. service on any post in the Service :

in the Service, seniority shall be determined separately for each cadre: Provided that where there are different cadres

determined by the Commission shall not be disturbed appointed by direct recruitment, the order of merit in fixing the seniority: Provided further that in the case of members

more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows: --Provided further that in the case of two or

(a) a member appointed by direct recruitment promotion or by transfer; shall be senior to a member appointed by

1439

such members in the appointments from in the case of member appointed by which they were promoted or transferred; be determined according to the seniority of promotion or by transfer, seniority shall

shall be senior to the younger member in the case of members appointed by service is also the same, the older member appointments, and if the length of such of pay drawn are also the same, then by his previous appointment; and if the rates who was drawing a higher rate of pay in seniority shall be determined according to transfer from different cadres, their pay, preference being given to a member, of their service in the

State of Haryana, on being ordered so to do by the serve at any place, whether within or outside the appointing authority. 12(1) A member of the Service shall be liable to

Liability to Serve.

deputed to serve under ,--(2) A member of the Service may also be

- (i) a company, an association or a body of Municipal Corporation or a local authority or University within the State of Haryana; or controlled by the State Government, a which is wholly or individuals, whether incorporated or not, substantially owned
- whether incorporated or not, which is the Central Government or a company, an controlled by the Central Government; or association or a body of individuals, OI substantially panwo
- (iii) any other State Government, a private body: body not controlled by the Government or national organisation, an autonomous an inter-

in clause (ii) or (iii) except with his consent. Government or any organisation or body referred to be deputed to serve the Central or any other State that no member of the Service

authority under the Constitution of India or under may hereafter be adopted or made by the competent any law for the time being in force made by the by such rules and regulations as may have been, or other matters, not expressely provided for in these State Legislature. rules, the members of the Service shall be governed 13. In respect of pay, leave, pension and all other matters. Pay, leave, pension and

Discipline. penaities and

ment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time be governed by the Haryana Civil Services (Punishto time: penalties and appeals, members of the Service shall 14.(1) In matters relating to discipline,

appeals.

are specified in Appndix C to these rules. article 309 of the Constitution of India, be such as to the provisions of any law or rule made under such penalties and appellate authority shall, subject may be imposed, the authority empowered to impose Provided that the nature of penalties which

be as specified in Appendix D to these rules. rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall under clause (c) or clause (d) or sub-rule (1) of (2) The authority competent to pass an order

Government so directs by a special or general order. himself vaccinated and revaccinated as and when the 15. Every member of the Service shall get

already done so, shall be required to take the oath allegiance as by law established. of allegiance to India and to Constitution of India 16. Every member of the Service, unless he has

respect to any class or category of person. relax any of the provisions of these rules with by order for reasons to be recorded in writing, that it is necessary or expedient to do so, 17. Where the Government is of the opinion Power of

Vaccination.

it may, relaxation

provision. Special

ment if it is deemed expedient to do so. special terms, and conditions in the order of appointthese rules, the appointing authority may impose 18. Notwithstanding anything contained in

Reservation.

of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to handicapped persons or any other class or category other backward classes, ex-servicemen, physically be provided for scheduled castes, backward classes affect reservation and other concessions required to 19. Nothing contained in these rules shall

at any time. reservations so made shall not exceed fifty percent, Provided that the total percentage of

is hereby repealed: corresponding immediately before the commencement of these rules, 20. Any rule applicabe to to any of these rules in force the service and

savings. Repeal and

been made or taken under the rules so repealed shall be deemed to have provisions of these rules. Provided that any order made or action taken under the corresponding

> HAKYANA GOVT GAZ., MAY 19, 1998 (VYSK. 29, 1920 SAKA)

#### APPENDIX A

(See rule 3)

Number post	David	number of po	Poers
	Perma- nent	Tempo- rary	Total
1 2	tu	444	5
	1	ω	w
2 Assistant Archivist	1	œ	00
3 Microphotographist	1	1	_
4 Assistant	1	eu,	w
5 Assistant Librarian	1	-	-
6 Archival Restorer		2	2
4.	- 1	-	ь
8 Transcriber cum- typist	1	-	1 1200-30 40-2040
	1	-	1 1200-30-156 40-2040+Rs. Special Pay
10 Steno-typist	1	-	1 950-20-1150-EB- 25-1500 + Rs. Special Pay
	1	6	6 950-20-1150-EB- 25-1500
12 Research and Reference Assistant	1	-	1 950-20-1150-EB-25- 1500
13 Record Attendent	1	1	1 950-20-1150-EB-25-

### APPENDIX A

(See rule 3)

Number post	Number post	Num	Number of posts	ste	Scale of pay
		Perma- nent	Tempo- rary	Total	
1	3				
	2	3	4	5	6
4 Posts			1919		Rs.
a core	- Sectiner Operator	1	1	1	950-20-1150-EB-25-
15 Binder	1			24	1500
		1	6	6 9	950-20-1050-EB-25-
1					1400

HARYANA GOVT GAZ., MAY 19, 1998. (VYSK. 29, 1920 SAKA)

#### APPENDIX B

					1. Archivist	1 2	Serial Designation of Number posts	
		3			3		on of	
as Assistant Archivist	experience of working	Diploma in Archives keeping;	Shikasta script and Indian History of post 1600 period in 8.A. from a recognised university:	OR 2nd Class Master's degree in Persian with	2nd Class Master's degree in History with an optional paper of post 1600 period of Indian History from a recognised university:	ß	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	(See rule 7)
			Matric Standard	(1) Atleast three years experience as Assistant Archivist	By promotion Atleast three years experience as Assistant Archivist.  By transfer or deputation	4	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment	

- Javanaga L
- (30 (1v) Knowledge of Hindl/up to Matric standard: on +2/84/100 with
- Preferential-
- (i) Knowledge of typography and proof reading;
- (ii) Knowledge of any Indian or foreign language(s) other than English and Hindi.

Sertal Number	Designation of posts		Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	100	ω	4
. Assistant		(1) 2nd	degree	By promotion—
WCUIA121	1514	opt 1:	in History with an (i) optional paper of post (i) 1600 period of Indian	
		Histo	History of a recognised	History with an optional
	To the Service	Servi	servicemen only. Master's	of Indian History of
		degre	degree in History with	recognised university;
		post		(11) Diploma in Archives keeping;
		110010	moian miscory),	
	Service of the Control		OR (11)	(111) Five years experience as Assistant, Assistant
		3000	and Class Wassauts	Librarian, Junior Scale
		degre	degree in Persian with	
		adequ	adequate knowledge of	Typist, Steno-typist
		Shika	Shikasta script and	Research and Reference
		1600	1600 period in 8.A. from	Assistant and Clerk.
		à rec	a recognised University;	By transfer or deputation-
	,	(For	(For ex-servicemen (1)	(1) Master's degree or
		Parci	Master's degree in	equivalent Honour's degree
		know1	knowledge of Shikasta	paper of post 1600 period
		scrip	script and Indian History	of Indian History of
		B.A.	8.A. from a recognised	recognised university;
		1 Unive		(ii) Diploma in Archives
				keeping;
	(11)		Diploma in Archives (111)	(iii) Five years experience as
		keeping;		Assistant, Assistant
	(111)		Knowledge of Hindi up to	Stenographer, Archival
			日本 大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大	Typist, Steno-typist,
				Research and Reference
1				Assistant and Clerk;

-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	_		-	_						
			4. Assistant	The same of the sa	2000							The state of the s			-	HIN. L. S. S. S.		3. Microphoto-	1	Preferential	1	Number po
		1	ē.			The second		Seminar Seminar			0.00	30					315	to-		×	2	posts
(111)	(11)		3			(40)						(111)		(11)				(3)	33	Ξ		07
Knowledge of Hindi up to	Five years experience on a clerical post;	university in 2nd Division or equivalent; and	Graduate of a recognised	business of the second	experience in general	Two years practical	明 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	or organisation;	recognised University	photography) from a	(preferably in micro-	Diploma in Photography	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN	Knowledge of Hindi up to Matric standard;		(Preferably with Science);	recognised University	Graduate from a	Knowledge of any Indian or foreign language(s) besides English and Hindi.	Knowledge of typography and proof reading:	3	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment
By transfer or deputation-	or Transcriber-cum-typist or Steno-typist or Clerk.		William I	experience in general	(4.1 F.)	organisation:	recognised university or	photography) from a	(preferably in micro-	(111) Diploma in photography		Matric Standard;	(11) Knowledge of Hindi up to				(10+2) Vocational or	(i) Matric, Higher Secondary,		(fv) Knowledge of Hindi up to Matric standard.	4	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment

(i) Five years experience as Junior Scale Stenographer or Transcriber-cum-typist or Steno-typist or Clerk;

(11) Knowledge of Hindi up to Matric standard.

## HAKYANA GOVT GAZ., MAY 19, 1998 (VYSK. 29, 1920 SAKA)

	1		
	5. Assistant	1	Seria) Number
		2	Designation of posts
Ξ	3		
(ii) A certificate in Library	(1) Graduate from a	ىد	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment
(i) B.A. with certificate/ Diploma in Library Science;	By promotion —	4	Academic qualifications and experience; if any, for appointment other than by direct recruitment

ÓR

recognised institute; Library Science from a Degree or Diploma in

(iii) Five years experience as Research and Reference Assistant.

(111) Knowledge of Hindi up to Matric standard.

By transfer or deputation --

(1) B.A. with certificate/ Diploma in Library Science;

(ii) Five years experience as Assistant; Research and Reference

(111) Knowledge of Hindi up to Matric standard.

6. Archival Restorer

(i) Matric (preferably with Science) or its equivalent (i) Matric or its equivalent By promotion--University/Board: from a recognised

University/Board; from a recognised

(ii) Two years training or Binding; experience in Book

> (11) Two years experience as Binder,

(111) Knowledge of Hindi up to Matric Standard.

By tansfer or deputati

(i) Matric or its equivalen University/Board; from a recognised

> DARLAMA GUYL GAL., MAL 17, 1770 (VYSK. 29, 1920 SAKA)

Number Designation of S150d

and experience, if any, Academic qualifications for direct recruitment

for appointment other than by direct recruitment and experience, if any, Academic qualifications

(111) Knowledge of Hindi up to (ii) Two years experience as Binder;

Juntor Scale Stenographer

(For ex-servicemen Matric equivalent sion/Graduate or its

(11) Knowledge of Hindf up to

(111) English shorthand at a thereof at a speed of 20 minute and transcription speed of 100 words per

(iv) Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and speed of 15 words per transcription thereof at a

(1) Matric Ist Division/Higher Secondary and Division/ Intermediate 2nd Division/

Matric standard ;

words per minute;

speed of 15 words per

10+2 (Vocational) 2nd Divi-

(11) Three years experience as

Steno-typist or Clerk :

(1) Matric or its equivalent;

By promotion--Matric standard.

(111) English shorthand at a (1v) Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and minute; transcription thereof at a at a speed of 20 words per minute and transcription speed of 100 words per

By transfer or deputation-

(1) Matric or its equivalent:

(11) Three years experience as Steno-typist or Clerk:

(111) English shorthand at a a speed of 20 words per minute: minute and transcription at speed of 100 words per

(iv) Hind1 shorthand at a minute; at a speed of 15 words per and transcription thereof speed of 80 words per minute

(v) Knowledge of Hindi up to Matric standard.

(VYSK. 29, 1920 SAKA)

Number posts

Serial

Designation

Academic qualifications

HARYANA GOVT GAZ., MAY 19, 1998 (VYSK. 29, 1920 SAKA)

1449

(VYSK. 29, 1920 SAKA)

Number p	Designation Academic qualifications posts and experience, if any, for direct recruitment	ications Academic qualifications if any, and experience, if any, uitment for appointment other than by diver-
-	2 3	4
8. Trans-	(1) Matric Ist Division or	
Typist	Inter/Higher Second: Division/10+2 (Voca &	(1) Matric or its
	2nd Division/Gradua te from a	(11)
	(11) Provided Univers 4 ty/Board;	
	Matric standard	transcription there of at
		minute;
	of 80 words per minute and	(111) Three years experience
	0	Steno-typist or as Clerk;
	ninute;	(fv) English typing at a speed
	(fy) Frontier .	of 30 words per minute. He
	of 30 words non min to speed	will have to pass English
	He will have to pass English	of 100 words per minit
	shorthand test at a speed	100 miles
	or kun words per minute and	at a speed of 20 words per
	20 words thereof at	minute within one year of
	one year of his within	his joining the service to
	service to the post failth	will not be all which he
	which he will not be a llowed	increment till the passing
	annual increment till the	
	passing of such test. When he	nb
	will be allowed increase he	to him from increment(s) due
	due to hin from the date of	qualifying such test but
	qualifying such test but no	no arrear will be given to
	arrear will be given to him.	him.
		By transfer or deputation (i) Matric or its equivalent:
		(11) Hinds obcomes
No.		of 80 worthand at a sp

speed of 15 words per minute;

(1) Middle with Hindi;

9. Briver

(11) Valid Driving Licence Light traffic vehicles; for heavy traffic vehicles/

(1) Possess valid driving

By promotion : Matric standard.

(1v) Should have experience of (111) Should not have been convicted traffic vehicles, as the case years driving of light traffic vehicles or 5 3 years driving of Heavy efficient driving; of any effence for in-

(11) Atleast 3 years experience

traffic vehicles. for heavy traffic/light Licence in Motor driving

as Gate-Keeper, Peon,

Attendant, Dusting Bearercum-Mender, Chowkider,

Sweeper or Mender.

Cleaning Bearer, Dark Room

Dusting Bearer, Vacuum

and experience, if any, for direct recruitment (v) Knowledge of Hindi up to (fill) Atleast three years (iv) English typing at a speed him; no arrear will be given to qualifying such test, but to him from the date of allowed increment(s) due such test he will be test. When he will qualify allowed annual increment till the passing of such which he will not be service to the post failing year of his joining the words per minute within one thereof at a speed of 20 minute and transcription a speed of 100 words per English shorthand test at He will have to pass of 30 words per minute. or as Clerk; experience as Steno-Typist than by direct recruitment for appointment, other and experience, if any, Academic qualifications

Seria!	Designation posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
-	2	3	۵
		may be (10 years experience	By transfer or deputation:
		of Oriving Heavy traffic	(1) Possess valid driving
		vehicles in the case of	Licence in Motor driving
		ex-servicemen)	traffic vehicles:
			trainic venicles;
			as Gate-Keeper. Peon.
			Dusting Bearer, Vacuum
			Attendant, Dusting Bearer-
			cum-Mender, Chowkidar,
			Sweeper or Mender;
			(111) Knowledge of Hind1 up to Middle standard.
. Sten	10. Steno-typist (1)	or Higher Secondary 2nd	By promotion :
		Division/10+2 (vocational)	Clerk;
		2nd Division/Graduate or	(+i) English shorthand at a
A STATE OF	STATE STATES	cordinament. Marrio	speed of 80 words per
		on twi	minute and transcription.
7			thereof at a speed of 15
Tar San	(11)	Matric standard:	
			(111) Hindi shorthand at a speed
	(1911)		of 54 words per minute and
	No. of Street, or other Designation of the least of the l	or ou words per minute and	transcription thereof at a
	The second of	speed of 15 words per	Princeto.
			By transfer or deputation .
		4 20 mm at	The second of the second of
			(i) One year's experience as Clerk:
		(iv) Hindi shorthand at a speed of 68 words per minute and	(iii English Shorthand at a
	2		
No.			
	2		STATE OF THE PARTY.
II. Clerk			

167	Designation posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
-	2	3	4
		2nd Division or Graduate (for Ex-servicemen Matric	(111) Hindi shorthand at a speed of 54 words per minute and transcription thereof at a
	(83)	4.000	speed of 77 words per Minute;
	-\$mm	[(1) Knowledge of Winds upto Matric standard:	
		(11) Knowledge of Aind) upto Matric standard; (111) Shall be required to qualify a typing test either	(1v) Knowledge of Mindi upto Matric standard.

any increment. wise he will not be given year of appointment otherwithin a period of one

exce as Research and Ref-Mender. Mender, Chowkidar, Sweeper, dant, Dusting Bearer-cum-Bearer, Dark Room Atten-Attendant, Gestetner rence Assistant, Record Searer, Vacuum Cleaning keeper, Peon, Dusting Sperator, Sinder, Sate-

(11) Shall have to pass a test by the Director; in Hindi, and English standard to be conducted languages of the Matric

(1111) Shall be required to [1] Matric with 5 years qualify a typing test By transfer or deputation : of one year of appointpectively within a period words per minute resat a speed of 25 and 30 either in Hindl or English be given any increment. ment otherwise he will not

experience as Research and Reference Assistant,

4	3	2	
for appointment other than by direct recruitment	for direct recruitment		
and experience, if any,	and experience, if any,	posts	Number
Academic qualifications	Academic qualifications	Serial Designation	ertal

Number

posts Designation

for direct recruitment and experience, if any, Academic qualifications

for appointment other and experience, if any, Academic qualifications

than by direct recruitment

Hender Gatekeeper, Peon, Busting Mender, Chowkidar, Sweeper dant, Ousting Bearer-cum-Bearer, Dark Room Atten-Bearer, Vacuum Cleaning ner Operator, Sinder,

(11) Knowledge of Hindi upto Matric standard;

(1111) Shall be required to qualify a typing test wise he will not be given year of appointment otherwithin a period of one minute, respectively English at a speed of any increment. 25 and 30 words per either in Hindi or

(1) Graduate from a recognised one of the subjects; University with History as

12. Research and

(1) Graduate from a recognised

University with History as

(11) Knowledge of Hind1 upto

one of the subjects;

Matric Standard.

Reference Assistant

(11) Knowledge of Hindi upto Matric standard.

By Promotion :

13. Record

Attendant

(11) Knowledge of Hindi up to

Matric standard;

(1) Matriculate of a recognised

Board or its equivalent ;

(1) Middle class pass:

(11) Three years experience as Gatekeeper. Peon, Dusting or Mender. dant, Dusting Bearer-cum-Bearer, Dark Room Atten-Mender, Chowkider, Sweeper Bearer, Vacuum Cleaning

15. Binder

By transfer or deputation :

(i) Matric or equivalent from or Board. Working knowledge a recognised University

Machine.

of operating the Gestetner

14. Gestetner

Operator

(11) Three years experience as Gatekeeper, Peon, Room Attendant, Dusting Cleaning Bearer, Dark dan, Sweeper or Mender, Bearer-cum-Hender, Chowki-Busting Bearer, Vacuum

(111] Knowledge of Hindl upto Matric standard.

#### By promotion :

or Mender. Mender, Chowkidar, Sweeper dant, Dusting Bearer-cum-Bearer, Dark Room Atten-Bearer, Vacuum Cleaning as Gatekeeper, Peon Dusting Three years experience

## By transfer or deputation

- (1) Three years experience as Mender, Chowkidar, Sweeper or mender ; dant, Dusting Bearer-cum-Bearer, Dark Room Atten-Gatekeeper, Peon, Dusting Bearer. Yacuum Cleaning
- (11) Knowledge of Hindi upto Matric standard;

#### By promotion :

(11) Three years experience in

Sinding

(For ex-servicemen : Three

years experience of

Binding)

(1) Middle class pass

(1) Three years experience as Mender, Chowkidar, Sweeper dant, Dusting Bearer-cum-Searer, Dark Room Atten-Bearer, Vacuum Cleaning Gatekeeper, Peon, Dusting

(1) Middle class pass;

APPENDIX C

	دن	2	-
and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment	for direct recruitment	6	
Academic qualifications	Academic qualifications	umber nosts	enar

(11) Qualifies the Departments test in Binding as specif in the Appendix E to thes

By transfer or deputation :

(1) Three years experience as or Mender; dant, Dusting Bearer-cum-Bearer, Bark Room Atten-Gate-keeper, Peon, Dusting Mender; Chowkider, Sweeper Bearer, Vacuum Cleaning

(11) Qualifies the Departmental test in Binding as specified in the Appendix E to these

(111) Knowledge of Hindl upto

Middle standard.

No. of posts authority Nature of Penalities
---

Appellate authority

Government

t t t t t t t t t t t t t t t t t t t	of pay without complative effect :	Operator.
tt (fi) Marningwith a copy on the personal file (Character roll);  (fii) Censure;  t (fii) Mithbolding of promotion t, (fii) withbolding of promotion t, (fii) pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to the Central Government or to a Company and Association or a body of individuals, wheth incorporated or not, which is wholly or substantially camed or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State;	and.	Record Attendant
the Director 1. Winor Penalties.  It the personal file (Character roll);  It (H) Censure;  It (H) Fecovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to the Central Government or to a Company and Association or a body of individuals, wheth incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of the Parliament or of the	Legislature of a State:	ASSISTANT
st Director 1. Winor Penalties.  nt st (4) Warningwith a copy on the personal file (Character roll); (ti) Censure;  nt (ti) Censure; (tii) withholding of promotion nt whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to the Central Government or State pher Bony and Association or a bor-cum- ber-cum- ber-c	Parliament or of the	Research
ant the personal file (Character roll);  st (ii) Mithholding of promotion ant (iii) withholding of promotion ant (iii) withholding of promotion ant (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to the Central Scale Government or State Government or State Government or or a company and Association or a body of individuals, wheth incorporated or not, which is wholly or substantially ypist Government or to a local	set up by an Act of	Reference and
ant the personal file (Character roll);  st (H) Censure;  ant (H) Censure;  ant (H) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by regligence or a breach of orders, to the Central Government or State apher (Bovernment or State fan) and Association or a body of individuals, wheth is wholly or substantially spist commed or controlled by the	Government or to a local	Clerk
ant the personal file (Character roll);  st (iii) withholding of promotion ant (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by regligence or a breach of orders, to the Central Government or State Government or State Government or individuals, wheth incorporated or not, which is wholly or substantially.	owned or controlled by the	Steno-typist
ant the personal file (Character roll);  st (H) Censure;  ant (H) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by megligence or a breach of orders, to the Central Government or State Government or State Government or state body of individuals, whether	incorporated or not, which is wholly or substantially	Driver
Director 1. Winor Penalties:  (A) Warning with a copy on the personal file (Character roll);  (ii) Censure;  (iii) withholding of promotion whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to the Central Government or State Government or to a Com-	pany and Association or a body of individuals, whether	Transcriber-cum- Typist
Director 1. Winor Penalties:  (A) Marning with a copy on the personal file (Character roll);  (ti) Censure;  (ti) Mithholding of promotion (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to the Central	Government or to a Com-	Stenographer
the Director 1. Winor Penalties.  It warning with a copy on the personal file (Character roll);  (ii) Censure;  (iii) withholding of promotion the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach	of orders, to the Central	Junior Scale
Director 1. Winor Penalties.  (ii) Warning with a copy on the personal file (Character roll);  (iii) Eensure;  (iii) withholding of promotion (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by	negligence or a breach	Restorer
Director 1. Winor Penalties.  Jif Warningwith a copy on the personal file (Character roll);  (ii) Egnsure;  (iii) withholding of promotion (iv) recovery from pay of the whole or part of any	pecuniary loss caused by	Archival
Director 1. Winor Penalties:  Lit Warning with a copy on the personal file (Character roll);  (ti) Censure;  (tii) withholding of promotion	(iv) recovery from pay of the whole or part of any	Assistant Librarian
Director 1. Winor Penalties:  Lift Marning with a copy on the personal file (Character roll);  (11) Censure;	(fii) withholding of promotion;	Assistant
Director 1. Winor Penalties .  Lit Warning with a copy on the personal file (Character roll);	(11) Censure :	graphist
Director 1. Winor Penalties .	the personal file (Character roll);	Assistant Archivist Microphoto-
	1. Minor Penalties	archivist D

7 3

15. Binger

(vi) withholding of increments

of pay with comulative

effect.

2. Najor Penalties :

54	54		Z
1970	100		54
			-

# HARYANA GOVT GAZ., MAY 19, 1998 (VYSK. 29, 1920 SAKA)

Academic qualifications for appointment other Academic qualifications

Designation for direct recruitment

Number Serial

posts

than by direct recruitment

(11) Qualifies the Departmental rules. in the Appendix E to these test in Binding as specified

(t) Three years experience as By transfer or deputation :

or Mender; Mender; Chowkidar, Sweeper dant. Dusting Bearer-cum-Bearer, Vacuum Cleaning Gate-keeper, Peon, Dusting Bearer, Dark Room Atten-

(11) Qualifies the Departmental in the Appendix E to these test in Binding as specified

(111) Knowledge of Hindi upto

Middle standard.

HARYANA GOVT GAZ., MAY 19, 1998 , (VYSK. 29, 1920 SAKA)

1455

#### APPENDIX C

	15. Binder		14. Gest		14	Ass	Res	12. Ref.	11. Clerk	10. Ste	9. Driver		8. Tra	Ste	7. Jun	Res	6. Arc		S. Acc	CA. ASS	gra	3. Mig	Are	2. As:	1. Arc	1-	No. of
	de		Gestetner	verold werendent		Assistant	Research	Reference and	rk	Steno-typist	ASA	ist	Transcriber-cus-	Stenographer	Juntor Scale	Restorer	Archival	Librarian	Assistant	Assistant	graphist	Microphoto-	Archivist	Assistant	Archivist	2	Designation of posts
(tv)	2.		CAA	THE STATE OF THE PARTY OF THE P			Manager Comment		The second second								1			(111)	(111)		,	Ŧ	Director 1.	w	Appointing authority
	Major Penaities :	effect :	of new without contements			Legislature of a State:		set up by an Act of	authority or to a local	owned or controlled by the	is wholly or substantially	body of individuals, wh	pany and Association or		Government or State	negligence or a breach	20	whole or part of any		(111) withholding of promotion :	Censure ;	(Character roll);	the personal file	Warning with a cook on	. Minor Penalties .		Nature of Penalities
Sh.	1	q	· co							the	ich	whether	24					n n		3					Director	5	Authority in- powered to impose penalties
																									Sovernment	05	Appellate

w

on

(vii) reduction to a lower stage Government employee will during the period of such as to whether or not the for a specified period have the effect of postearn increments of pay with further directions in the time scale of pay ments of his pay ; poning the future increthe reduction will not the expiry of such period. reduction and whether on

(viii) reduction to a lower scale ordinarily be a bar to time scale of pay, grade, Government employee to the service which shall of pay, grade, post or the promotion of the post or service from which to the grade or post or conditions of restoration directions regarding or without further he was reduced, with rity and pay on such service from which the restoration to that grade. reduced and his senio-Sovernment employee was

# (1x) Compulsory retirement :

post or service ;

(x) removal from Service which fication for future employment under the shall not be a disquali-Government ;

(x1) dismissal from Service which Government. employment under the disqualification for future shall ordinarily be a

#### APPENDIX D

### [See rule 14(2)]

15	14	13	12	=	10	9	69	1	6	uh.	4	w	2	_	-	8 S
8 inder	Sestetmer Operator	Record Attendant	Research and Reference Assistant	Clerk	Steno-typist	Driver	Transcriber- cum-Typist	Juntor Scale Stenographer	Restorer	Assistant Librarian	Assistant	M icro- photograph ist	Assistant	Archivist	353	Designation of posts
								for superannuation.		(11) terminating the appointment of member otherwise	ing pension;	admissible under the rules govern-	holding the amount of ordinary or additional pension	(1) reducing or with-	642	Nature of order
11 1								n.	7-				3 6	Director	4	Authority empowered to empose penalty
											(4)			Government	un	Apperlate authorit

#### 1459

## APPENDIX E

Syllabus and other conditions for the departmental test of binding of group 'D' employees of Archives Department, Haryana:--

- (1) A departmental test for the group 'D' employees of the Archives Department will be held as and when the vacancies of binder occurs. The exact date and place of test will be determined and intimated to the eligible Group 'D' employees by the Director, Archives atleast fifteen days before holding the test.
- (2) The Deputy Director, Archives shall forward to the Director Archives, Haryana the name of the eligible group 'D' employees who intends to appear in the test.
- (3) The test will be conducted by the committee of officers of the Archives Department, Haryana which would be constituted by the Director, Archives.
- (4) After the test the list of the names of successful candidates will be prepared in order of their seniority in group 'D' services.
- (5) Questionnaire of the departmental test shall be as following:
- Questions relating to knowledge and difference between Archival and Commercial binding;
- (ii) Preparation of pastes;
- (iii) Types of binding;
- (Iv) Types of stiching;
- (v) How the pagination of old records be done and why it is essential.
- (vi) How many pages makes a jooz;
- (vii) Use of get-in papers;
- viii) Use of guard strips;
- (ix) Weight of the carboard used for Archival binging;

Total marks for binding test will be 100 out of these 100 marks practical test of binding and viva voice will comprise of 60 and 40 marks respectively. Minimum pass marks will be 40% of the total marks.

S.K. MEHESHWARI,

Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Archives Department.